दिनांक 25/10/2012

"प्रशासन शहरों के संग अभियान–2012" के संबंध में दी गयी शिथिलताऐं

1. दिनांक 17.06.1999 से पूर्व की योजनाओं के हस्तानान्तरित भूखण्डों के नियमन की प्रकिया, नियमन शुल्क तथा पंजीयन शुल्क :–

(i) पंजीकृत अथवा अपंजीकृत दस्तावेजों के आधार पर जिन भूखण्डों का दिनांक 30.9.2012 तक जितनी बार हस्तान्तरण किया गया है उनका नगरीय निकायों द्वारा नियमन किया जायेगा। पंजीकृत इकरारनामा तथा कब्जे की स्थिति में केवल प्रीमियम राशि वसूल कर नियमन किया जायेगा तथा अपंजीकृत इकरारनामें एवं कब्जे की स्थिति में 10 रू प्रति वर्गगज राशि के साथ प्रीमियम राशि ली जाकर अन्तिम केता के पक्ष में नियमन किया जायेगा।

(ii) वित्त विभाग की अधिसूचना कमांक एफ 2(60)एफ.डी./टैक्स/12–72 दिनांक 18.10.2012 के अनुसार नगर निकायों के द्वारा धारा 90–ए या तत्समय प्रचलित धारा 90–ए के अन्तर्गत आवंटन/नियमन उपरान्त जारी पट्टों का पंजीयन दिनांक 31.03.2013 तक कराने की स्थिति में स्टाम्प ड्यूटी धटा कर बाजार मूल्य के स्थान पर निम्नानुसार देय होगी :–

"1. यदि पट्टा विलेख स्वंय खातेदार के पक्ष में अथवा पूर्ण मुद्रांकित दस्तावेजों के आधार पर लीज ग्रहिता के पक्ष में निष्पादित किया जाता है तो स्टाम्प ड्यूटी 500/– रूपये देय होगी।

2. यदि पट्टा विलेख दिनांक 30.09.2012 तक निष्पादित अमुद्रांकित या अपर्याप्त रूप से मुद्रांकित दस्तावेजों के आधार पर लीज ग्रहिता के पक्ष में निष्पादित किया जाता है तो स्थानीय निकायों को देय राशि यथा नियमन शुल्क, रूपान्तरण शुल्क, विकास शुल्क, ब्याज, पेनल्टी की राशि एवं दो वर्ष के औसत किराये की राशि को प्रतिफल मानते हुए कन्वेन्स पर स्टाम्प ड्यूटी की प्रचलित दर से स्टाम्प ड्यूटी देय होगी।"

2. पूर्व में जारी पट्टो का पंजीयन :–

(i) जिन प्रकरणों में भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90 बी के अन्तर्गत कार्यवाही की जाकर भूखण्डों का नियमन कर पट्टे मय स्टाम्प शुल्क जारी किये जा चुके है किन्तु इन पट्टा विलेखों का पंजीयन नहीं करवाया गया है उन पट्टो के नवीनीकरण की कार्यवाही की जाकर सामान्य आवासीय प्रीमियम दर पर पंजीयन किया जा सकेगा। अगर पूर्व में पट्टा–विलेख स्टाम्प पेपर पर जारी किये जा चुके है तो पूर्ण मुद्रांकित पट्टों को नगर निकाय द्वारा रिवेलिडेट किया जायेगा और ऐसे पट्टों को रिवेलिडेशन की तारीख से निष्पादित मानते हुए पंजीयन करवाया जा सकेगा। पंजीयन की कार्यवाही दिनांक 31.03.2013 तक की जा सकेगी। उक्त छूट के लिये पट्टों के पंजीयन हेतु आवेदन शिविर अवधि में किया जाना अनिवार्य होगा।

(ii) वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 2(60)एफ.डी. / टैक्स / 12–72 दिनांक 18.10.2012 (प्रति संलग्न) के अनुसार *नगर निकायों के द्वारा नियमित / आवंटित भूखण्डों के संबंध में निष्पादित विलेख / लिखत पंजीयन अधिनियम, 1908 की धारा 23 एवं 25 के अनुसार निर्धारित 8 माह की अवधि में पंजीकृत नहीं कराकर उपरोक्त निकायों से पुर्नवैध एवं पुनः निष्पादित करवा कर दिनांक 31.03.2013 तक पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया जाता है तो ऐसे विलेख / लिखत पर स्थानीय निकायों को देय राशि यथा नियमन शुल्क, रूपान्तरण शुल्क, विकास शुल्क, ब्याज ,पेनल्टी की राशि को प्रतिफल मानते हुए कन्वेन्स पर स्टाम्प ड्यूटी की प्रचलित दर से स्टाम्प ड्यूटी देय होगी।*

3. **दिनांक 17.06.99 के पूर्व अस्तित्व में आई विभिन्न योजनाओं के नियमन हेतु पूर्व के कैम्पों में जिन भूखण्डों के पट्टे जारी नहीं हुये उनके पट्टे जारी करने की प्रक्रिया :–**

(i) दिनांक 17.06.99 के पूर्व अस्तित्व में आई विभिन्न योजनाओं के नियमन हेतु पूर्व में आयोजित कैम्पों के दौरान कतिपय कारणों से पट्टे जारी नहीं हो सके थे। प्रथम नियमन कैम्प में जारी पट्टे पर सामान्य नियमन दर के आधार पर नियमन शुल्क वसूल किया जाता है तथा प्रथम कैम्प के उपरान्त नियमन शुल्क पर प्रथम कैम्प की दिनांक से 15 प्रतिशत ब्याज वसूल किया जाता है। अतः अभियान के दौरान **कैम्पों को प्रथम कैम्प मानते हुये केवल सामान्य प्रीमियम दर के आधार पर प्रीमियम राशि वसूल की जायेगी।**

(ii) वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 2(60)एफ.डी. / टैक्स / 12–72 दिनांक 18.10.2012 के अनुसार :–

"1. यदि पट्टा विलेख स्वय खातेदार के पक्ष में अथवा पूर्ण मुद्रांकित दस्तावेजों के आधार पर लीज ग्रहिता के पक्ष में निष्पादित किया जाता है तो स्टाम्प ड्यूटी 500 / – रूपये देय होगी।

2. यदि पट्टा विलेख दिनांक 30.09.2012 तक निष्पादित अमुद्रांकित या अपर्याप्त रूप से मुद्रांकित दस्तावेजों के आधार पर लीज ग्रहिता के पक्ष में निष्पादित किया जाता है तो स्थानीय निकायों को देय राशि यथा नियमन शुल्क, रूपान्तरण शुल्क, विकास शुल्क, ब्याज, पेनल्टी की राशि एवं दो वर्ष के औसत किराये की राशि को प्रतिफल मानते हुए कन्वेन्स पर स्टाम्प ड्यूटी की प्रचलित दर से स्टाम्प ड्यूटी देय होगी।

3. नगर निकायों के द्वारा नियमित / आवंटित भूखण्डों के संबंध में निष्पादित विलेख / लिखत पंजीयन अधिनियम, 1908 की धारा 23 एवं 25 के अनुसार निर्धारित 8 माह की अवधि में पंजीकृत नहीं कराकर उपरोक्त निकायों से पुर्नवैध एवं पुनः निष्पादित करवा कर दिनांक 31.03.2013 तक पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया जाता है तो ऐसे विलेख / लिखत पर स्थानीय निकायों को देय राशि यथा नियमन शुल्क, रूपान्तरण शुल्क, विकास शुल्क, ब्याज ,पेनल्टी की राशि को प्रतिफल मानते हुए कन्वेन्स पर स्टाम्प ड्यूटी की प्रचलित दर से स्टाम्प ड्यूटी देय होगी।"

4. अवधि पार पट्टों का पंजीयन एवं बाजार दर के स्थान पर मुद्रांक शुल्क में शिथिलता :–

(i) पट्टा विलेख निष्पादन हेतु अभियान के दौरान अवधि पार (time barred) दस्तावेजों को नगर निकाय द्वारा Revalidate कर पंजीयन हेतु आवेदन प्रस्तुत होने पर नियमन राशि पर ही मुद्रांक शुल्क देय होगा। यह छूट नगरीय निकायों द्वारा निष्पादित पट्टो पर दिनांक 31.03.2013 तक ही लागू होगी। यह छूट केवल उसी स्थिति में देय होगी जब इस निमित प्रार्थना पत्र शिविर अवधि तक आवेदक द्वारा प्रस्तुत कर दिया जावे।

(ii) वित्त विभाग की अधिसूचना कमांक एफ 2(60)एफ.डी./टैक्स/12–73 दिनांक 18.10.2012 के अनुसार :–

"1. विलेख/लिखत जो पुनवैध एवं पुनः निष्पादन की दिनांक से दो माह की अवधि में पंजीयन के लिए प्रस्तुत किये जाते है उन पर सरकार/स्थानीय निकाय/ उपकम द्वारा ब्याज,शास्ति, दो वर्ष के औसत किराये (यदि कोई हो) आदि की राशि को सम्मिलित करते हुए प्रतिफल के रूप में ली गयी कुल राशि पर कन्वेन्स की दर से देय होगी।

2. विलेख/लिखत जो पुनवैध एवं पुनः निष्पादन की दिनांक से दो माह पश्चात् एवं चार माह की अवधि में पंजीयन के लिए प्रस्तुत किये जाते है उन पर सरकार /स्थानीय निकाय/उपकम द्वारा ब्याज,शास्ति, दो वर्ष के औसत किराये (यदि कोई हो) आदि की राशि को सम्मिलित करते हुए प्रतिफल के रूप में ली गयी कुल राशि में 25 प्रतिशत की वृद्वि कर उस पर कन्वेन्स की दर से देय होगी।

3. विलेख/लिखत जो पुनवैध एवं पुनः निष्पादन की दिनांक से चार माह पश्चात् एवं आठ माह की अवधि में पंजीयन के लिए प्रस्तुत किये जाते है उन पर सरकार/स्थानीय निकाय/उपकम द्वारा ब्याज,शास्ति, दो वर्ष के औसत किराये (यदि कोई हो) आदि की राशि को सम्मिलित करते हुए प्रतिफल के रूप में ली गयी कुल राशि में 50 प्रतिशत की वृद्वि कर उस पर कन्वेन्स की दर से देय होगी।"

5. नगरीय निकायों द्वारा जारी पट्टों का पंजीयन एवं बाजार दर के स्थान पर मुद्रांक शुल्क में शिथिलता :–

वित्त विभाग की अधिसूचना कमांक एफ 2(60)एफ.डी./टैक्स/12–74 दिनांक 18.10.2012 के अनुसार नगरीय निकायों द्वारा आवंटित/विकय की गई स्थावर सम्पत्ति के संबंध में अब तक पट्टे का निष्पादन ही नहीं हुआ हो तो अब पट्टा निष्पादित होने पर बाजार दर के स्थान पर स्टाम्प ड्यूटी धटा कर निम्नानुसार देय होगी :–

"1. विलेख/लिखत निष्पादन की दिनांक से दो माह की अवधि में पंजीयन हेतु प्रस्तुत होने पर सरकार/स्थानीय निकाय/ उपकम द्वारा ब्याज,शास्ति, दो वर्ष के औसत किराये (यदि कोई हो) आदि की राशि को सम्मिलित करते हुए प्रतिफल के रूप में ली गयी कुल राशि की दो तिहाई राशि पर कन्वेन्स की दर से देय होगी।

2. विलेख/लिखत निष्पादन की दिनांक से दो माह पश्चात् एवं चार माह की अवधि में पंजीयन हेतु प्रस्तुत होने पर सरकार /स्थानीय निकाय/उपकम द्वारा ब्याज,शास्ति, दो वर्ष के औसत किराये (यदि कोई हो) आदि की राशि को सम्मिलित करते हुए प्रतिफल के रूप में ली गयी कुल राशि में 25 प्रतिशत की वृद्वि कर उस राशि पर कन्वेन्स की दर से देय होगी।

3. विलेख/लिखत निष्पादन की दिनांक से चार माह पश्चात् एवं आठ माह की अवधि में पंजीयन के लिए प्रस्तुत होने पर सरकार/स्थानीय निकाय/उपकम द्वारा ब्याज,शास्ति, दो वर्ष के औसत किराये (यदि कोई हो) आदि की राशि को सम्मिलित करते हुए प्रतिफल के रूप में ली गयी कुल राशि की दो तिहाई राशि में 50 प्रतिशत की वृद्वि कर उस पर कन्वेन्स की दर से देय होगी।"

6. राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–ए के अन्तर्गत प्राप्त प्रार्थना पत्रों के सलंग्न शपथ–पत्र को स्टाम्प शुल्क से मुक्त किये जाने बाबत् :–

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–ए के अन्तर्गत राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर–कृषिक प्रयोजन के लिये उपयोग की अनुज्ञा एवं आवंटन) नियम, 2012 के अन्तर्गत भू उपयोग परिवर्तन अनुज्ञा हेतु नियम 4(1) या नियम 16 (1) के अधीन प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ शपथ पत्र पर वित्त विभाग की अधिसूचना कमांक एफ.2(70)/वित्त/12–75 दिनांक 18.10.2012 के अनुसार प्रशासन शहरों के संग अभियान 2012 के दौरान देय स्टाम्प शुल्क में छूट प्रदान की गई हैं।

7. दिनांक 17.06.1999 से पूर्व कृषि भूमि पर विकसित आवासीय योजनाओं के नियमन के संबंध में दी गयी अन्य शिथिलताऐं :–

(i) नगरीय निकायों को 10 प्रतिशत या उससे अधिक निर्माण वाली योजनाओं के अधिकार दिये जाने बाबत :–

नगरीय निकायों को ऐसी योजनाओं जिनमें न्यूनतम 10 प्रतिशत निर्माण स्थित है तथा विक्रय योग्य क्षेत्रफल 70 प्रतिशत से अधिक है के नियमन का पूर्ण अधिकार दिये गये है। योजना में निर्मित भवनों पर भवन विनियम के प्रावधानानुसार सैटबैक छोडे जाने की अनिवार्यता नहीं रहेगी। निर्मित भवनों में जो भी सेटबैक उपलब्ध है उसी के अनुसार नियमन की कार्यवाही की जायेगी। जहां भूखण्ड रिक्त है या सेटबैक छोडा हुआ है, उसमें सेट बैक आदि की पालना सुनिश्चित करायी जायेगी।

(ii) <u>सड़क की चौडाई की बाध्यता नहीं :–</u>

नगरीय विकास विभाग के परिपत्र दिनांक 06.09.2007 में योजना की आन्तरिक सडक की चौडाई नगरीय निकाय की श्रेणीवार 20 से 30 फुट नियत की गयी थी। अब अभियान अवधि में दिनांक 17.06.1999 से पूर्व अस्तित्व में आयी योजनाओं के लिए सडक चौडाई की बाध्यता नहीं रखी गयी है। ऐसी योजनाओं में विद्यमान सड़क की चौडाई के आधार पर ले–आउट प्लान स्वीकृत कर नियमन किया जायेगा।

(iii) <u>पट्टे दिये जाने के सम्पूर्ण अधिकार :–</u>

धारा 90बी अथवा धारा 90ए के अन्तर्गत आवंटन/नियमन के लिए जारी पट्टा दिलेख किसी भी क्षेत्रफल तक के लिए नगर निकाय अभियान अवधि के दौरान राज्य सरकार की अनुमति लिये बिना भी जारी कर सकेगें।

(iv) <u>योजनाओं के मध्य राजकीय भूमि के नियमन की शक्तियां :–</u>

नगर विकास न्यासों को दिनांक 17.06.99 से पूर्व की योजनाओं के मध्य स्थित 5 बीघा भूमि तक नियमन की शक्तियां दी हुई थीं जिसे अब 10 बीघा तक कर दिया गया है।

(v) <u>ले–आउट प्लान तैयार किये जाने बाबत :–</u>

जिन राजस्व ग्रामों में राजस्व मानचित्र उपलब्ध नहीं है अथवा राजस्व मानचित्र उपलब्ध है, परन्तु प्रमाणित नहीं है वहां सुपर इम्पोजिशन की अनिवार्यता समाप्त कर मौके की स्थिति के अनुसार अभियान के दौरान नियमन किया जा सकेगा। ले–आउट प्लान का अनुमोदन निकाय की संबंधित समिति या मुख्य नगरपालिक अधिकारी, निकाय के वरिष्ठतम अभियन्ता, नगर नियोजन के अधिकारी, जहाँ पदस्थापित हैं, संयुक्त रूप से अनुमोदित कर सकेंगे।

8. <u>मंडल की शक्तियाँ प्रत्यायोजन बाबत:–</u>

विभिन्न प्रकरणों जैसे भू–उपयोग परिवर्तन, मानचित्र अनुमोदन, भू–पट्टी का आवंटन, पट्टे जारी करने आदि के लिए अभियान अवधि के लिए राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 71, 73, 118, 131, 182, 189, 194, 202, 207, 242, 243, 244, 245, 254, 258, 259, 269, 282, 287, 288, 299, 306 की शक्तियां एम्पावर्ड कमेटी को प्रत्यायोजित की गई हैं। इसी प्रकार राजस्थान नगर पालिका (सामान क्रय एवं संविदा) नियम 1974 में मण्डल को प्रदत्त शक्तियां भी एम्पॉवर्ड कमेटी को दी गई हैं।

9. <u>मास्टर प्लान में भू–उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध मे राज्य सरकार की शक्तियों का स्थानीय स्तर पर प्रत्यायोजन :–</u>

कच्ची बस्तियों के नियमन के लिए तथा 17.06.1999 से पूर्व कृषि भूमियों पर बसी आवासीय योजनाओं के नियमन के लिए यदि मास्टर प्लान में भू–उपयोग आवासीय से भिन्न है तो भू–उपयोग परिवर्तन के पूर्ण अधिकार स्थानीय भू–उपयोग परिवर्तन समिति को अभियान के दौरान प्रदान किये गये हैं।

10. कच्ची बस्ती नियमन में शिथिलता :–

वर्तमान में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से उच्चतर सरकारी कर्मचारियों को कच्ची बस्ती में भूमि नियमन करने पर प्रतिबंध है। मंत्रालयिक स्तर तक के सेवानिवृत कर्मचारियों, जिनके पास उसी शहर में अन्य कोई भूखण्ड नहीं है, को कच्ची बस्ती भूमि नियमन करने के लिए अनुमति दी जाती है।

11. भू–पट्टी (खांचा भूमि) आवंटन में शिथिलता :–

निम्नांकित शिथिलताऐ प्रदान की गयी है :–

(i) भू–पट्टी (स्ट्रीप ऑफ लैण्ड) के क्षेत्रफल को 100 वर्गगज के स्थान पर क्षेत्रफल 150 वर्गगज तक बढाया गया है।

(ii) आवंटन की शक्तियॉ नगरीय निकाय की एम्पावर्ड कमेटी को प्रत्यायोजित की गयी।

(iii) 100 वर्गगज से अधिक क्षेत्रफल के लिए आरक्षित दर की दो गुनी अथवा डी.एल.सी. दर जो भी अधिक हो, देय होगी।

(iv) खांचा भूमि का आवंटन केवल एक बारीय (One- time) ही होगा। यदि पूर्व में आवंटन कर दिया गया है तो दुबारा आवंटन कराने की पात्रता नहीं होगी।

12. भूखण्डों के बढे हुए क्षेत्रफल के नियमन / आवंटन के सम्बन्ध में

आवंटित किये हुये भूखण्डों में बढ़े हुए क्षेत्रफल का वर्तमान में प्रचलित आरक्षित दर पर तथा नीलामी में कय किये गये भूखण्डों के बढ़े हुये क्षेत्रफल की नीलामी दर मय ब्याज राशि जमा कराने पर नियमन/आवंटन किया जायेगा।

13. भवन मानचित्र अनुमोदन

(i) अभियान के दौरान भवन मानचित्र अनुमोदन के लिए गठित समिति के स्थान पर नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 49 के अन्तर्गत एम्पावर्ड कमेटी के निर्णयाधीन रहते हुए नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

(ii) 1000 वर्गमीटर क्षेत्रफल तक के आवासीय तथा 500 वर्गमीटर क्षेत्रफल तक के गैर आवासीय भवन मानचित्रों का अनुमोदन एवं स्वीकृति भवन मानचित्र समिति के स्थान पर मुख्य नगरपालिक अधिकारी, न्यास सचिव या जयपुर/जोधपुर विकास प्राधिकरण के निदेशक नगर नियोजन, जैसी भी स्थिति हो, को अधिकृत किया गया है।

14. **दिनांक 31.12.2000 से पूर्व 90 वर्गमीटर क्षेत्रफल तक के भूखण्डों पर बने हुये आवासों के सैट बैक नियमन में शिथिलता :-**

छोटे भूखण्डों के आवंटियों ने सैटबैक में निर्माण कर लिये हैं। अभियान के दौरान 90 वर्गमीटर तक के भूखण्डों पर हुये निर्माणों को निर्धारित/लागू दरों पर नियमित करने के लिए शिथिलता प्रदान की गयी है।

15 **लीज राशि व नगरीय विकास कर पर ब्याज की छूट-**

(i) बकाया लीज राशि के ब्याज में लीज की बकाया राशि जमा कराने पर 50 प्रतिशत एवं बकाया के साथ-साथ आगामी समस्त वर्षो की देय लीज राशि एक मुश्त जमा कराये जाने पर ब्याज में शत्-प्रतिशत छूट दिये जाने के लिए आवेदन की कट आफ डेट दिनांक 30.06.2012 को शिविर अवधि समाप्त होने तक बढाया गया है और लीज राशि जमा कराने की कट आफ डेट 30.09.2012 को दिनांक 31.03.2013 तक बढाया गया है।

(ii) अभियान के दौरान नगरीय विकास कर की वर्तमान बकाया राशि के साथ-साथ आगामी वर्षो की देय लीज राशि एकमुश्त जमा करायी जाती है तो बकाया लीज राशि के ब्याज में शत् प्रतिशत छूट दी जायेगी।

16. **राजस्थान भू-स्वामियों की सम्पदा अर्जन अधिनियम, 1963 (राजा-महाराजाओं की भूमि), राजस्थान कृषि जोत अधिकतम सीमा अधिरोपण अधिनियम, 1973, नगरीय भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियम) अधिनियम, 1976, बेरी आयोग, दवे आयोग तथा कस्टोडियन भूमि से प्रभावित योजनाओं में नियमन –**

जिन भूमियों के सम्बन्ध में न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश पारित नहीं है या न्यायालय का कोई अन्यथा निर्देश नहीं है ऐसे मामलों में उक्त श्रेणी की भूमियों को राजकीय भूमि मानते हुए नियमित किया जा सकेगा।

17. **राजस्थान आवासन मण्डल की अवाप्तशुदा भूमि, सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं सिचांई विभाग व अन्य विभागो की भूमियों पर बसी आवासीय योजनाओं का नियमितिकरणः-**

विभागों के कब्जे में जो भूमि है उसे छोड़कर, शेष भूमि अवाप्ति से मुक्त मानी जाकर उन पर बसी कॉलोनियों का नियमन यदि कम से कम 50 प्रतिशत क्षेत्र पर आवासीय बसावट हो और भूखण्डधारी का कब्जा 15.08.2009 तक होना प्रमाणित हो वहां पर राजकीय भूमि की नियमन दर के आधार पर 500 वर्गगज तक के भूखण्ड का नियमन किया जा सकेगा। जिसके लिए विभाग की अनापत्ति की आवश्यकता नहीं है।

18 **नगरीय निकायों में निहित भूमि पर दिनांक 15.08.2009 तक 300 वर्गगज तक अनाधिकृत आवासीय निर्माण के नियमन :-**

(i) नगरीय निकायों में निहित भूमि पर दिनांक 31.12.91 तक 300 वर्गगज तक अनाधिकृत आवासीय निर्माण के नियमन हेतु जारी विभागीय परिपत्र क्रमांक प.1 (ग) नियम/डीएलबी/2001/1 दिनांक 01.01.2002 में अतिक्रमण के नियमन हेतु निर्धारित कट ऑफ डेट को 15 अगस्त, 2009 तक बढायी जाती है।

(ii) उक्त नियमन सिवायचक/राजकीय भूमि के नियमन के लिए आदेश दिनांक 21.09.2012 द्वारा निर्धारित दरों के आधार पर किया जायेगा। उक्त नियमन केवल गैर-योजना (नोन-स्कीम) क्षेत्र में ही हो सकेगा।

(iii) **जयपुर के सन्दर्भ में लेखराज सैनी के प्रकरण के अनुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।**

19. <u>ग्राम पंचायतों को पट्टा देने की अधिकारिताः-</u>

मास्टर प्लान में दर्शाये गये परिधीय क्षेत्र में अवस्थित ग्राम पंचायतों को ग्राम पंचायत मुख्यालय वाले ग्राम में वर्तमान आबादी क्षेत्र की 500 मीटर तक की परिधि में तथा पंचायत के अन्य ग्रामों में आबादी क्षेत्र से 200 मीटर तक की सीमा में आबादी विस्तार एवं अन्य सार्वजनिक सुविधाओं यथा विद्यालय, चिकित्सालय आदि के लिए आबादी भूमि/हस्तान्तरित सिवाय चक भूमियों पर राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के अंतर्गत पट्टे दिये जाने की अधिकारिता दी गयी है।

20. <u>नजूल सम्पतियों का सार्वजनिक उपयोग के लिए चिन्हिकरण</u> :-

नजूल सम्पतियाँ जो किसी राजकीय उपयोग में नहीं आ रही है, उन सम्पतियों को जिला कलेक्टर की अध्यक्षता वाली कमेटी द्वारा विभागों/नगर निकायों को निःशुल्क हस्तान्तरित किया जायेगा। जो सम्पतियाँ किसी राजकीय विभाग के काम आ रही है उनको संबंधित विभाग को निःशुल्क आवंटित किया जायेगा।

21. <u>अभियान के दौरान नगर निकायों के अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण पर प्रतिबन्ध में शिथिलताः-</u>

विभिन्न नगर निकायों में स्टाफ/अधिकारियों की कमी रहती है और अभियान के दौरान, अभियान से पूर्व तैयारी के लिए तथा अभियान के फोलोअप के लिए विभिन्न कार्यों की आवश्यकता को देखते हुए स्टाफ/कर्मचारियों को अपरिहार्य परिस्थितियों में एक दूसरे नगर निकायों में भेजने की दृष्टि से नगर निकायों के स्टाफ/अधिकारियों को दिनांक 01 अक्टूबर, 2012 से 31 मार्च, 2013 तक एक नगर निकाय से दूसरे नगर निकाय में स्थानान्तरित करने के लिए स्थानान्तरण पर प्रतिबंध से शिथिलता रहेगी।

22. <u>प्राधिकृत अधिकारियों को आपसी रजामंदी से तकासमा करने की शक्तियों को प्रत्यायोजन</u>

राजस्व विभाग द्वारा की अधिसूचना कमांक प.9(126)राज/2012/33 दिनांक 23.10.2012 के द्वारा अभियान के दौरान राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-ए के तहत नियुक्त प्राधिकृत अधिकारियों को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (अधिनियम संख्या 3 वर्ष 1955) की धारा 53 की उप धारा (2)(i) एवं उसके अन्तर्गत बने नियमों के तहत भूमि बटवारे के लिए तहसीलदार पर अधिरोपित कर्त्तव्य एवं शक्तियों को उनके क्षेत्राधिकार में प्रयोग करने की प्रदान की गई है।